ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट सिंडिकेट Syndicate

वित्तीय वर्ष 2025-26

हरित जमा नीति
(ग्रीन डिपॉज़िट पॉलिसी) और
उधार संबंधी ढ़ांचा

संस्करण 3.0

जोखिम प्रबंधन विभाग,
प्रधान कर्यालय, बेंगलूरु

मुख्य दस्तावेज

दस्तावेज का शीर्षक	**हरित ग्रीन जमा नीति और उधार संबंधी रूपरेखा : वित्तीय वर्ष 2025-26**
द्वारा बनाया गया	**जोखिम प्रबंधन विभाग**
दिनांक	**08.01.2025**
दस्तावेज़ वर्गीकरण	**आंतरिक**

पूर्व संस्करण

संस्करण सं.	वित्तीय वर्ष	परिवर्तन / टिप्पणियाँ	द्वारा परिवर्तित
1.0	2023-24	प्रारंभिक दस्तावेज	जोखिम प्रबंधन विभाग
2.0	2024-25	समग्र समीक्षा	जोखिम प्रबंधन विभाग
3.0	2025-26	समग्र समीक्षा	जोखिम प्रबंधन विभाग

संस्करण अनुमोदन

संस्करण सं.	अनुमोदन की तारीख	परिवर्तन / टिप्पणियाँ	द्वारा अनुमोदित
1.0	28.06.2023	प्रारंभिक दस्तावेज	निदेशक मंडल
2.0	25.07.2024	समग्र समीक्षा	निदेशक मंडल
3.0	28.02.2025	समग्र समीक्षा	निदेशक मंडल

शब्दावली	
ए एल सी ओ	आस्ति देयता समिति
बी आई रिपोर्ट	कारोबार आसूचना रिपोर्ट
बी आर एस आर आर	कारोबारिक जिम्मेदारी और संवहनीयता रिपोर्ट
सी आई आर एम	केनरा आंतरिक रेटिंग मॉडल
सी बी एस	कोर बैंकिंग सॉल्यूशन
सी ए एन पी समिति	नए उत्पादों के अनुमोदन संबंधी समिति
ई एस जी नीति	बैंक की पर्यावरण, सामाजिक और शासन नीति (निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित)
जी एल	जनरल लेजर
हरित गतिविधियां / परियोजनाएं	इस ढांचे के पैरा 21.2 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियां/ परियोजनाएं।
हरित जमा	एक ब्याज युक्त जमा जो एक निश्चित अवधि के लिए पुनर्वित्तीयन निकाय (आरई) द्वारा प्राप्त की जाती है और जिसकी आगम हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस) हेतु आवंटित किए जाने के लिए निर्धारित की जाती है।
ग्रीन वॉशिंग	वास्तव में हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के रूप में परिभाषित की जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा नहीं करनेवाले उत्पादों / सेवाओं को हरित उत्पाद / सेवा के रूप में विपणन करने की प्रथा।
एल सी सी डब्ल्यू	वृहद कॉर्पोरेट साख विभाग
एम आई एस	बैंक की प्रबंधन सूचना प्रणाली
आर एम सी बी	निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति
एस एंड पी समिति	प्रणाली व प्रक्रिया समिति

अनुक्रमणिका

पैरा	मद	पृष्ठ सं.
	भाग क : हरित जमा नीति	
1	प्रस्तावना	5
2	उद्देश्य	5
3	हरित जमा खातों के लिए नीति ढ़ांचा	5-6
4	पात्र हरित परियोजनाएं	6
5	जमा एकत्रीकरण	6
6	आगमों का उपयोग	6
7	मूल्याँकन व चयन की प्रक्रिया	7
8	तीसरे पक्ष का सत्यापन/आश्वासन और प्रभाव मूल्यांकन	7
9	प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट	7
10	रिपोर्टिंग व अनुपालन	7-8
11	प्रकटीकरण	8
12	शासन व पर्यवेक्षण	8
13	हितधारक सहभागिता	8
14	समीक्षा व संवर्धन	9
15	निष्कर्ष	9
	भाग ख : हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा	
16	ढ़ांचा संरचना	10
17	हरित जमा उधार ढ़ांचा संबंधी शासन संरचना	10
18	भूमिका व जिम्मेदारियाँ	10-11
19	ढ़ांचे का दायरा	12
20	हरित निधियों की सॉर्सिंग	12
21	हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए हरित आगमों का उपयोग / नियोजन	12
	21.1 पात्रता मापदंड एवं पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं और अपवादों की सूची	12-13
	21.2 पात्र हरित गतिविधियाँ / परियोजनाएं	13-14
	21.3 आगमों के नियोजन के लिए समय सीमा	14
	21.4 हरित परियोजनाओं का चयन	14
	21.5 हरित परियोजनाओं का मूल्याँकन	14
	21.6 हरित परियोजनाओं का वित्तीयन / में निवेश	14
	21.7 हरित वित्त का मूल्य निर्धारण	15
22	लक्ष्य व निगरानी	15
23	रिपोर्टिंग व प्रकटीकरण	15-16
24	बाह्य सत्यापन / आश्वासन	16
25	प्रभाव मूल्याँकन	16
	अनुलग्नक - 1	17
	अनुलग्नक - 2	18

भाग - क (हरित जमा नीति)

1. प्रस्तावना

'भारतीय बैंकिंग का उद्गम स्थान' नाम से प्रसिद्ध दक्षिण कन्नड़ जिले (कर्नाटक) में वर्ष 1906 में स्थापित केनरा बैंक, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, जो पिछले 118 से अधिक वर्षों से 30,000 से भी अधिक विशाल बैंकिंग टच प्वाइंट के साथ हमारे देश में कार्यरत है ।

केनरा बैंक, इस यात्रा में स्थायी प्रथाओं को अपनाते हुए स्थिरता की दिशा में अग्रसर है । बैंक ने ईएसजी को, अवसरों के एक उभरते क्षेत्र के रूप में पहचाना है और उसको प्राप्त करने के लिए ईएसजी नीति - स्थिरता ढांचा तैयार किया है । बैंक एक ईएसजी स्टेटमेंट भी लेकर आया है जो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप स्थिरता की दिशा में बैंक की प्रतिबद्धताओं और कार्यों का सारांश है।

कम उत्सर्जन और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों और ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्रोत्साहित करके एक स्थायी दुनिया बनाने की दिशा में पूरे देश के लिए निर्धारित योगदान के लिए बैंक प्रतिबद्ध है। अत: यह हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा, नवीकरणीय और हरित परियोजनाओं के लिए निधीयन को बढ़ावा देने के लिए पथप्रदर्शक होगा।

2. उद्देश्य

हरित जमा नीति का उद्देश्य, जमाकर्ताओं को सतत विकास में योगदान देने वाली हरित परियोजनाओं और गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करके पर्यावरण के अनुकूल पहलों को बढ़ावा देना है। इस नीति का उद्देश्य जमाराशियों को जुटाना और पर्यावरणीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और अन्य हरित पहलों को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं और गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए आगम का उपयोग करना है।

यह नीति विनियामक दिशानिर्देशों, उद्योग मानकों और बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए ईएसजी समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के अनुमोदन के साथ वार्षिक समीक्षा और नियमित अद्यतन के अधीन है। इसके अलावा, नीति निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करके बैंक की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी।

3. हरित जमा खातों के लिए नीतिगत ढ़ांचा

क) हरित जमा व्यक्तियों, फर्मों, कंपनियों, संस्थानों और न्यास, हिंदू अविभक्त परिवार, धर्मार्थ संगठनों एवं सरकारी एजेंसियों सहित अन्य संस्थाओं से स्वीकार किए जा सकते हैं।

ख) बैंक, हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए रूपायित विशेषीकृत हरित जमा खातों की पेशकश करेगा। ये खाते एक निश्चित अवधि के लिए सावधि जमा या आवर्ती जमा के रूप में हो सकते हैं। इस योजना के तहत जमा खोलने की पुष्टि करने वाली घोषणा को जमा खोलने से पहले जमाकर्ता से प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया जाएगा और इस जमा खाता को खोलने पर जमाकर्ता को एक प्रशंसा पत्र / प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।

ग) जमा संचयी या गैर-संचयी जमा के रूप में जारी किया जा सकता है और आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में ही मूल्यवर्गित किया जाएगा।

घ) हरित जमा को आगे "हरित वित्त (ग्रीन फाइनेंस)" के लिए उपयोग किया जाएगा । हरित वित्त से तात्पर्य हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं (पैरा 21.2 में निर्धारित), जो जल-वायु जोखिम शमन, जल-वायु अनुकूलन व पूर्वावस्था की प्राप्ति और जैव विविधता प्रबंधन व प्रकृति आधारित समाधान सहित अन्य जल-वायु संबंधी या पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने वाली गतिविधियों / परियोजनाओं से हैं ।

ङ) परिपक्वता पर, जमाकर्ता के विकल्प पर हरित जमा का नवीनीकरण या आहरण किया जाएगा। नवीनीकरण के मामले में हरित परिजनाओं में राशि को फिर से निवेश करने के बारे में घोषणा पत्र में एक खंड शामिल किया जाएगा।

च) उत्पाद की विशेषताएं जैसे न्यूनतम राशि, अवधि, ब्याज दर, भौतिक / डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किया जाना और उत्पाद के अन्य नियम और शर्तें एस एंड पी समिति और सीएएनपी समिति की सिफारिशों के अनुसार आरएमसीबी द्वारा अनुमोदित होंगी।

4. पात्र हरित परियोजनाएं

बैंक, संसाधन उपयोग में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करने, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों को कम करने, जल-वायु लचीलापन को बढ़ावा देने और / या जल-वायु अनुकूलन एवं प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र तथा जैव विविधता का मूल्य निर्धारण व सुधार करने के उद्देश्य से बैंक के हरित जमा ढ़ांचा के पैरा 21.2 के तहत उल्लिखित पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं की सूची में शामिल परियोजनाओं को हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई आगम को आबंटित करेगा।

5. जमा संग्रहण

क. बैंक विभिन्न विपणन और प्रचार अभियानों के माध्यम से हरित जमा खातों को सक्रिय रूप से प्रचार-प्रसार करेगा।

ख. बैंक अपने ग्राहकों को समय-समय पर निर्धारित आकर्षक ब्याज दरों की पेशकश करके हरित जमा खातों में धन जमा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ग. व्यक्तियों, कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिक भूतपूर्व कर्मचारीगण, एनआरआई, फर्मों, कंपनियों, संस्थानों और न्यास, एचयूएफ, धर्मार्थ संगठनों एवं सरकारी एजेंसियां सहित अन्य संस्थाओं से हरित जमा जुटाने के लिए बैंक अपनी शाखाओं और डिजिटल बैंकिंग चैनलों के अपने व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाएगा।

घ. बैंक हरित जमाओं और हरित जमा वित्तपोषण संबंधी जागरूकता अभियानों का आयोजन करेगा जिसके माध्यम से ग्राहकों को ऐसी परियोजनाओं के लिए जमा करने हेतु प्रेरित कर सकें।

6. आगम का उपयोग

क. ग्रीनवॉशिंग से बचने के लिए, बैंक अपने हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचे के पैरा 21.2 के तहत उल्लिखित पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के अनुसार विशेष रूप से वित्तपोषण के लिए हरित जमा खातों में जमा की गई धनराशि का उपयोग करेगा।

ख. हरित जमा वित्तपोषण के ऐसे तरीकों के लिए कोई भी अपवाद भी बैंक के हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचे के पैरा 21.2 के तहत उल्लिखित विवरण के अनुसार होगा।

ग. धन का उपयोग पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंक एक मजबूत निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित करेगा ।

7. मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया

हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचे के तहत पैरा 21.2 में सूचीबद्ध हरित गतिविधियों / परियोजनाओं में से परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता, तकनीकी संभाव्यता और पर्यावरण के अनुकूल प्रकृति के मूल्यांकन और चयन की प्रक्रिया और साख नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति और संबंधित साख वर्टिकल की अन्य उधार नीतियों का पालन करने वाली प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार होगी। विनियामक और बाजार मानकों के आधार पर ऐसी हरित परियोजनाओं को जोड़कर / हटाकर भी इसका संशोधन किया जा सकता है।

8. तृतीय पक्ष सत्यापन / आश्वासन और प्रभाव मूल्याँकन

एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का आबंटन, वार्षिक आधार पर किया जानेवाला एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन के अधीन होगा । तृतीय पक्ष मूल्यांकन बैंक को निधियों के अंतिम उपयोग के संबंध में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगा, जिसके लिए, जैसा कि अन्य ऋणों के मामले में होता है, आंतरिक जांच और संतुलन की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। संबंधित नियमों और शर्तों को निर्धारित ढांचे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधारकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त रूप से पूरा किया जाना है और धन के अंतिम उपयोग का पता लगाने के दौरान अतिरिक्त जांच बिंदु होंगे।

तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट, कम से कम, निम्नलिखित पहलुओं को प्रावरित करेगी:

i. आगम का उपयोग बैंक के हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा के पैरा 21.2 में सूचित की गई पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के अनुसार किया जाना है। बैंक, ग्रीनवॉशिंग के मामलों से संरक्षण के लिए जुटाई गई जमाराशियों के एवज में आबंटित निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी करेगा।

ii. अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना मूल्यांकन और चयन, आगम का प्रबंधन और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण सहित नीतियां और आंतरिक नियंत्रण।

9. प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट

बैंक, बाहरी फर्मों की सहायता से, प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट के माध्यम से हरित वित्तपोषण गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए उधार दी गई या निवेश की गई धनराशि से जुड़े प्रभाव का वार्षिक आकलन करेगा। इस नीति के अनुलग्नक-1 में प्रभाव संकेतकों की एक उदाहरणात्मक सूची दी गई है।

बैंक वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रभाव मूल्यांकन करेगा। बैंक अपनी वेबसाइट पर तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट और प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा।

10.रिपोर्टिंग और अनुपालन

क. बैंक अपने हरित जमा संग्रहण, निधि की विनियोजन और प्रभाव मूल्याँकन संबंधी पारदर्शी और व्यापक रिपोर्टिंग बनाए रखेगा।

ख. बैंक हरित जमा और हरित वित्तपोषण से संबंधित सभी लागू नियामक और वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करेगा।

ग. बैंक, निर्धारित समय सीमा और प्रारूपों के अनुसार आरबीआई और अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

घ. बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन महीने के भीतर निदेशक मंडल के समक्ष अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित विवरण शामिल करते हुए एक समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी:

- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हरित जमा के तहत जुटाई गई राशि।
- परियोजनाओं के संक्षिप्त विवरण के साथ आगम आवंटित की गई है हरित गतिविधियों / परियोजनाओं की सूची ।
- पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि ।
- तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट की एक प्रति और
- प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट

ङ. हरित जमा और हरित जमा वित्तपोषण के पहलुओं को कवर करनेवाले हितधारक विभाग और सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख बैंक के हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचे के पैरा 23 में किया गया है।

11. प्रकटीकरण

बैंक अपनी वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट में इस नीति के **अनुलग्नक-2** में निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार हरित जमा निध के उपयोग से संबंधित संविभाग-स्तरीय जानकारी के संबंध में उचित प्रकटीकरण करेगा।

12. शासन व पर्यवेक्षण

क. हरित जमा एकत्रण और उपयोग संबंधी पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए कार्य समूह और कार्य समिति।

ख. आरएमसीबी एवं निदेशक मंडल सामरिक निर्देश प्रदान करेंगे और हरित जमा व और उधार ढांचे के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।

13. हितधारक सहभागिता

क. बैंक अपने हरित जमा नीति ढांचे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयरधारकों, नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा।

ख. बैंक अपने ग्राहकों और कर्मचारियों को हरित पहलों में प्रतिभागिता करने और पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

ग. बैंक पर्यावरणीय स्थिरता और हरित वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों और उद्योग निकायों सहित बाहरी हितधारकों के साथ सहयोग करेगा।

14. समीक्षा व संवर्धन

क. बैंक आवधिक तौर पर अपनी हरित जमा नीति (भाग-ए) की प्रभावशीलता की समीक्षा व आकलन करेगा और बदलती नियामक आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों एवं हितधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर वार्षिक रूप से कम से कम एक बार आवश्यक संवर्धन करेगा।

ख. बैंक, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं और वैश्विक मानकों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए हरित जमा और हरित वित्तपोषण से संबंधित अपनी प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों में लगातार सुधार करेगा।

15. निष्कर्ष

निष्कर्षत:, बैंक की हरित जमा नीति और उधार संबंधी ढांचा, पर्यावरणीय रूप से स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसमें हरित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, सतर्क रहने और पारदर्शिता पर जोर देने, जागरूकता पैदा करने और नियामक दिशानिर्देशों का पालन करने की कई पहल शामिल है। हरित वित्तपोषण और सतत विकास के लिए बैंक के सक्रिय प्रयास, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से जागरूक वित्तीय संस्थान होने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं।

भाग-ख (हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा)

16. ढांचे की संरचना

व्यापक स्थिरता रणनीति के हिस्से के रूप में, बैंक ने इस हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा रूपायित की है, जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों को वित्तपोषित किया जाना है जो उन्हें पर्यावरणीय रूप से स्थायी भविष्य में आवश्यक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईएसजी के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता और धारणाओं को इस ढांचे के साथ व्यवहार में लाया गया है।

इस ढांचे के अनुसार स्थापित हरित वित्तपोषण को जलवायु जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन व लचीलापन तथा जलवायु से संबंधित अन्य उद्देश्यों या पर्यावरणीय उद्देश्यों में योगदान करनेवाले तथा इस दस्तावेज़ में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करने वाली गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए निवेश के रूप में पेश किया जाएगा । इन निर्धारित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण बैंक के हरित जमा उत्पाद से प्राप्त आगमों के माध्यम से होगा।

हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा, आरबीआई के परिपत्र संख्या डीओआर.एसएफजी. आरईसी. 10/30.01.021/ 2023-24, दिनांक 11 अप्रैल, 2023 के माध्यम से जारी किए गए हरित जमा ढ़ांचे के अनुरूप है और जहाँ भी लागू हो, इस ढांचे के तहत शामिल नहीं किए गए सभी पहलुओं के लिए बैंक की ईएसजी नीति द्वारा निर्देशित हों ।

इस ढांचे में संशोधन या परिवर्तन, यदि कोई हो, की वार्षिक समीक्षा की जाएगी और ईएसजी समिति और आरएमसीबी के माध्यम से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जो इस संबंध में अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी होगा।

17. हरित जमा उधार ढ़ांचा संबंधी शासन संरचना

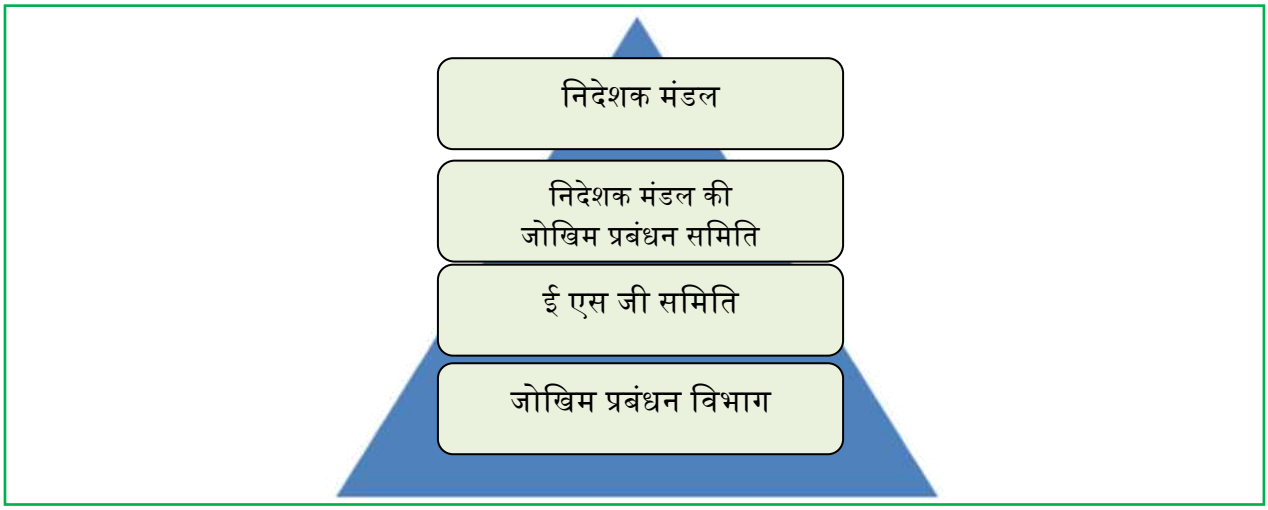

18. भूमिका व जिम्मेदारियाँ :

18.1 निदेशक मंडल की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ *

- बैंक में निर्धारित समय सीमा के अनुसार हरित क्षेत्र (जमा और वित्तपोषण उत्पादों) से संबंधित नियामक और भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- हरित जमा और हरित जमा वित्तपोषण जैसे क्षेत्रों को तलाशकर स्थिरता की राह में भारत सरकार द्वारा निर्धारित उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए सुपरिभाषित लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना।

- बैंक स्तरीय ईएसजी नीतियों, हरित जमा नीतियों, हरित वित्तपोषण ढ़ांचा रणनीतियों, पहलों, प्रकटीकरण और हितधारक जुड़ाव और ईएसजी समिति को विशिष्ट ईएसजी / जल-वायु जोखिम व हरित जमा वित्तपोषण संबंधी अधिकारों के प्रत्यायोजन का अनुमोदन।
- प्रबंधन सूचनाओं के साथ-साथ जल-वायु एवं पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित प्रमुख नीतिगत पहलों और घटनाक्रमों के आधार पर हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा के तहत की गई प्रगति की निगरानी/ समीक्षा करना ।

18.2 जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ *

- हरित क्षेत्रों (हरित जमा उत्पाद और उधार) से उभरनेवाले जोखिमों और अवसरों की निगरानी करना और इस तरह के क्षेत्रों में उधार देने के बाद बैंक द्वारा किए गए वास्तविक और संभावित प्रभाव का आकलन करना।
- जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण पर प्रभावी पर्यवेक्षण करना और इन हरित जमा और हरित उधार उत्पादों से उत्पन्न होने वाले वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त आंतरिक / बाहरी विशेषज्ञता की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- नीति ढांचे के माध्यम से हरित-आधारित उत्पादों (जमा और वित्तपोषण) के प्रभाव मूल्यांकन की निगरानी करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसी नीतियां / ढांचा बैंक के विशन के अनुरूप हैं।
- हरित क्षेत्रों से संबंधित नीति, रणनीति, उद्देश्य-निर्धारण का मार्गदर्शन और प्रदर्शन की निगरानी।
- एक मजबूत आश्वासन होने के लिए हरित जमा और इसके वित्तपोषण से संबंधित बाहरी प्रकटीकरण, नियंत्रण और उपायों का मार्गदर्शन करना।

18.3 ईएसजी समिति और कार्य समूह की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ *

- विनियामक / भारत सरकार के दिशानिर्देशों और आगामी परिवर्तनों के आधार पर हरित जमा नीति और हरित जमा उधार संबंधी ढांचे को विकसित और तैयार करने के लिए समिति जिम्मेदार होगी।
- हरित जमा नीति और इसके वित्तपोषण संबंधी ढ़ांचे में बताई गई हरित जमा वित्तपोषण गतिविधियों से जुड़े प्रमुख मापदंडों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और अनुमोदित करना।
- समिति बैंक की हरित जमा नीति और उधार संबंधी ढांचे और प्रशिक्षण आवश्यकताओं को तैयार करने में प्रत्येक हितधारक विभागों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की पहचान करेगी।
- समिति बैंक में हरित जमा नीति और हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा के समय पर कार्यान्वयन की भी समीक्षा करेगी।
- समिति नवीन विचारों के साथ काम करेगी और हरित आधारित नीति ढांचे को लागू करने की बाधाओं को दूर करने के लिए व्यवहार्य समाधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श करेगी।
- अवसरों की पहचान करना, हरित-आधारित उत्पादों के क्षेत्रों में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और हरित जमा वित्तपोषण गतिविधियों के प्रभाव मूल्याँकन का विश्लेषण करना।
- ग्राहकों के बीच हरित जमा और इसकी वित्तपोषण संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रणनीति और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करना ताकि स्थायी विकास की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ बैंक के स्थायी लक्ष्यों को संरेखित किया जा सके।

इस नीति के तहत परिभाषित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां केवल स्थिरता और हरित उत्पाद पहलुओं से संबंधित हैं। मौजूदा परिचालन पहलुएं जारी रहेंगे।

19. ढांचे का दायरा

यह ढ़ांचा बैंक के घरेलू परिचालनों पर लागू होगा।

सहयोगी, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम नीति ढ़ांचे को तैयार करने के लिए प्रचलित लागू नियामक दिशानिर्देशों का पालन करेंगे और संबंधित निदेशक मंडलों से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

20. हरित निधियों की सॉर्सिंग

हरित जमा वित्तपोषण, हरित जमा नीति में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा स्वीकृत हरित जमा के माध्यम से प्राप्त धन पर निर्भर होगी । हरित जमा नीति और उधार संबंधी ढ़ांचे के लिए नोडल विभागों की जिम्मेदारियां निम्नलिखित होंगी:

1) संसाधन विभाग

क. जुटाए गए संसाधनों से संबंधित मास्टर डेटा का रखरखाव।
ख. हरित जमा जारी करना।
ग. मौजूदा हरित जमा उत्पादों के लिए आस्ति-देयता समिति से मूल्य निर्धारण में संशोधन।

2) रणनीति व डेटा विश्लेषण विभाग

क. उद्योग में प्रचलित रीति, नियामक और बैंक के आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर, आवश्यकता के अनुसार किसी भी नए हरित जमा उत्पाद का रूपायन।
ख. बैंक के मौजूदा नियामक और आंतरिक दिशानिर्देशों के आधार पर, विभिन्न समितियों से हरित जमा से संबंधित नए उत्पाद के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
ग. हरित जमा से संबंधित नए उत्पाद के लिए आस्ति-देयता समिति से मूल्य निर्धारण का अनुमोदन।
घ. उपयुक्त एमआईएस सहित प्रणाली में उत्पाद का कार्यान्वयन।

3) वृहद कॉर्पोरेट साख विभाग (एलसीसीडब्ल्यू)

क. हरित गतिविधियों / परियोजनाओं की पहचान करना, धन आबंटित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करना।
ख. उधार देने के लिए लागू कीमत-लागत अंतर का निर्णय लेना।
ग. संसाधन विभाग के साथ समन्वय करके हरित निधि के स्रोतों व उपयोग की निगरानी व रिपोर्टिंग ।

21. हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए हरित आगम का उपयोग / परिनियोजन

हरित जमा लिखत से प्राप्त निवल आगम के अनुरूप राशि का उपयोग बैंक के हरित आस्ति संविभाग को वित्तपोषित करने के लिए किया जाएगा। यह संविभाग, निगमों, परिसंपत्तियों या परियोजनाओं में दोनों उधार और निवेश से बना होगा जो एक स्वच्छ, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरणीय रूप से स्थिर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अंतरण का समर्थन करते हैं और इस ढांचे की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

हरित जमा से प्राप्त आगम का उपयोग ढ़ांचे के अनुसार हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पूरी तरह से किया जाएगा। अनाबंटित आगमों को एक वर्ष (टी-बिल) की अधिकतम मूल अवधि तक तरल लिखतों में निवेश किया जाएगा।
बैंक के पास मौजूदा दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए हरित जमा के माध्यम से प्राप्त धन से अधिक वित्त देने का विवेकाधिकार होगा।

21.1 पात्रता मापदंड एवं पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं और अपवादों की सूची:

आगे, बाज़ार में आने वाले परिवर्तनों और भारतीय हरित वर्गीकरण की स्थापना के कारण, हरित जमा से आगम की विनियोजन उसी पर आधारित होगी। तब तक बैंक हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई आगम को निम्नलिखित सूची में शामिल हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए आबंटित करेगा जो संसाधन की उपयोगिता में ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित करते हैं, कार्बन उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों को कम करते हैं, जल-वायु लचीलापन और / या अनुकूलन और मूल्य को बढ़ावा देते हैं और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में सुधार करते हैं।

21.2 पात्र हरित गतिविधियाँ / परियोजनाएं:

क्षेत्र	विवरण
नवीकरणीय ऊर्जा	• सौर / पवन / बायोमास / हाइड्रोपावर ऊर्जा परियोजनाएं जो ऊर्जा उत्पादन और भंडारण को एकीकृत करती हैं । • नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना ।
ऊर्जा दक्षता	• ऊर्जा कुशल और ऊर्जा बचत प्रणालियों का डिजाइनिंग तथा निर्माण और भवनों व संपत्तियों में स्थापना । • दीपन में सुधार का समर्थन करना (उदाहरण के लिए एलईडी से बदलना) । • नए कम कार्बन भवनों के निर्माण के साथ-साथ मौजूदा भवनों में ऊर्जा-दक्षता उपकरणों की स्थापना का समर्थन करना । • बिजली ग्रिड लॉस को कम करने के लिए परियोजनाएं ।
स्वच्छ परिवहन	• परिवहन के विद्युतीकरण को बढ़ावा देने वाली परियोजनाएं । • बिल्डिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित स्वच्छ ईंधन (इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे) को अपनाना
जल-वायु परिवर्तन अनुकूलन	• जल-वायु परिवर्तन के प्रभावों के लिए बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनानेवाली परियोजनाएं।
स्थायी जल और अपशिष्ट प्रबंधन	• जल कुशल सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देना • परिवहन, शुद्धिकरण और निपटान प्रणाली सहित अपशिष्ट जल के पुन:उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना / उन्नयन • जल स्रोतों का संरक्षण • बाढ़ रक्षा प्रणाली
प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण	• वायु उत्सर्जन में कमी, ग्रीनहाउस गैस नियंत्रण, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट निवारण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण, अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा / उत्सर्जन कुशल-अपशिष्ट-से-ऊर्जा * को लक्षित करने वाली परियोजनाएं
हरित भावन (ग्रीन बिल्डिंग)	• क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुरूप या पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन को बढ़ावा देनेवाले उन भवनों से संबंधित परियोजनाएं
सजीव प्राकृतिक संसाधन व भूमि उपयोग के स्थायी प्रबंधन	• कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि का पर्यावरणीय स्थायी प्रबंधन • वनीकरण / पुनर्वनीकरण सहित स्थायी वानिकी प्रबंधन • प्रमाणित ऑर्गानिक खेती के लिए सहायता

अपवर्जन

- **सुधार और उन्नयन सहित जीवाश्म ईंधन के निष्कर्षण, उत्पादन और वितरण से जुड़ी नए या मौजूदा परियोजनाएं; या जहाँ मुख्य ऊर्जा स्रोत जीवाश्म-ईंधन आधारित है।**
- **परमाणु ऊर्जा उत्पादन।**
- **अपशिष्ट का प्रत्यक्ष भस्मीकरण।**
- **शराब (आल्कहॉल), हथियार, तंबाकू, गेमिंग या पाल्म ऑयल उद्योग।**
- **संरक्षित क्षेत्रों से उत्पन्न फीडस्टॉक का उपयोग करके बायोमास से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं।**
- **लैंडफिल परियोजनाएं।**
- **25 मेगावाट से अधिक के जलविद्युत संयंत्र।**

* फीडस्टॉक में मुख्य रूप से सीवेज, खाद, अपशिष्ट जल, बायोगैस, बायोमास, लकड़ी के पेलेट आदि शामिल होंगे।

21.3 आगम की विनियोजन के लिए समयसीमा:

वित्तीय वर्ष (पहले हरित जमा उत्पाद लॉन्च की तारीख से) के दौरान हरित जमा के माध्यम से स्वीकार की गई आगम का उपयोग पैरा 21.2 के तहत सूचीबद्ध हरित गतिविधियों / परियोजनाओं में वित्तपोषण / निवेश के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, जहाँ पात्र गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए आगमों का आबंटन लंबित है, इन आगमों का अस्थायी आबंटन, केवल एक वर्ष की अधिकतम मूल अवधि तक, तरल लिखतों में होगा।

21.4 हरित परियोजनाओं का चयन

हरित गतिविधियों / परियोजनाओं का चयन उपरोक्त पैरा 21.2 में सूचीबद्ध हरित गतिविधियों / परियोजनाओं में से आर्थिक रूप से व्यवहार्य, तकनीकी रूप से संभाव्य और पर्यावरण-अनुकूल परियोजना पर आधारित होगा तथा साख नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति और बैंक की अन्य ऋण नीतियों का पालन करने वाली प्रचलित प्रथाओं के अनुसार होगा।

विनियामक, सरकार और बाजार मानकों के आधार पर ऐसी हरित परियोजनाओं को जोड़कर / हटाकर भी इसका संशोधन किया जा सकता है।

21.5 हरित परियोजनाओं का मूल्याँकन

हरित परियोजनाओं का मूल्याँकन प्रचलित प्रथा (अन्य परियोजनाओं की तरह), साख नीति, साख जोखिम प्रबंधन नीति, अधिकारों के प्रत्यायोजन और बैंक की अन्य उधार नीतियों का विधिवत पालन करते हुए किया जाएगा।

हरित जमा उधार संबंधी ढ़ांचा के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का प्रसंस्करण करते समय, प्रोसेस नोट में कॉर्पोरेट्स की स्थायी प्रथाओं और बैंक से ली गई हरित वित्तपोषण सुविधाओं के माध्यम से हुए प्रभावों के औचित्य को कैप्चर करने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए ।

21.6 हरित परियोजनाओं का वित्तपोषण / में निवेश

आबंटित निधियों के साथ, ऐसी पात्र परियोजनाओं में वित्तपोषण / निवेश करने के लिए एक उचित मूल्याँकन प्रक्रिया का विधिवत पालन करते हुए साख विभाग / कोष विभाग द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं पर विचार किया जा सकता है। मंजूरीकर्ता विभाग ऐसी परियोजनाओं के लिए ऋण प्रवाह का एक डेटाबेस बनाए रखेंगे।

ऋण उत्पादों के लिए हरित / स्थायी वित्त के रूप में सीबीएस के अंतर्गत एक फ्लैग / संसूचक होना चाहिए ताकि उपयुक्त बीआई रिपोर्ट के माध्यम से एमआईएस तैयार किया जा सके। आवश्यक परिवर्तन प्रौद्योगिकी परिचालन विभाग / रणनीति व डेटा विश्लेषक विभाग द्वारा किए जाने हैं।

21.7 हरित वित्त का मूल्य निर्धारण

ऋण का मूल्य निर्धारण मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। हरित जमा से अधिक उधार / निवेश किए गए ऋणों का मूल्य निर्धारण, संबंधित नीतियों / दिशानिर्देशों का विधिवत पालन करते हुए अन्य परियोजनाओं के समान तरीके के आधार पर किया जाएगा।

आगे बढ़ते हुए, बैंक अपने सीआईआरएम मॉडल में ईएसजी और जल-वायु जोखिम मापदंडों को शामिल करने हेतु नीतिगत दिशानिर्देश रूपायित करने की संभावनाओं को तलाश सकता है और आकर्षक दरों पर हरित वित्तपोषण परियोजनाओं / गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान कर सकता है।

22. लक्ष्य और निगरानी

संसाधन विभाग :

- इस प्रकार हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई धनराशि को रखने के लिए एक विशेष पूल्ड खाता / जीएल बनाएगा और हरित जमा सॉर्सिंग रणनीति के आधार पर लक्ष्य तय करने पर विचार किया जा सकता है।
- हरित निधियों की सॉर्सिंग और विनियोजन के लिए डेटाबेस निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा और सिस्टम में आवश्यक एमआईएस रिपोर्ट विकसित की जाएगी।
- गतिविधि / परियोजना-वार लक्ष्य संबंधित साख विभागों को निर्धारित कर सकते हैं और आगम स्रोत व उपयोग की बकाया स्थिति को नियमित आधार पर अपडेट किया जाएगा।

23. रिपोर्टिंग व प्रकटीकरण

हितधारक विभाग निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करते हुए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित अंतरालों में समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे :

	रिपोर्टिंग की प्रकृति	अंतराल	किसको प्रस्तुत	संबंधित विभाग
1	हरित जमा के तहत जुटाई गई राशि और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों, यदि कोई है तो, के एवज में आबंटित राशि ।	अर्ध-वार्षिक	ईएसजी समिति	संसाधन विभाग
2	एक संक्षिप्त विवरण के साथ हरित गतिविधियाँ / परियोजनाएं जिन्हें आबंटित हरित निधि से वित्तपोषित / निवेश किया गया है ।	अर्ध-वार्षिक	ईएसजी समिति	अन्य साख विभागों के साथ समन्वय करने और एक समेकित नोट प्रस्तुत करने के लिए नोडल विभाग के रूप में एलसीसी विभाग
3	बाह्य एजेंसी द्वारा तृतीय-पक्ष सत्यापन/ आश्वासन रिपोर्ट।	वार्षिक	ईएसजी समिति, आरएमसीबी और निदेशक मंडल	ईएसजी अनुभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
4	प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनिवार्य(बाह्य)।	वार्षिक	ईएसजी समिति, आरएमसीबी और निदेशक मंडल	ईएसजी अनुभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग
5	वार्षिक रिपोर्ट में प्रासंगिक प्रकटीकरण	वार्षिक	ईएसजी समिति, निदेशक मंडल व सेबी	सचिवीय प्रभाग, अनुपालन विभाग

24. बाह्य सत्यापन / आश्वासन

एक वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक द्वारा हरित जमा के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का आबंटन एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन के अधीन होगा जो वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

बैंक की तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन रिपोर्ट, कम से कम, निम्नलिखित पहलुओं को कवर करेगी:

- आगम का उपयोग उल्लिखित पैरा 21.2 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के अनुसार होना चाहिए।
- नीतियां व आंतरिक नियंत्रण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना मूल्याँकन और चयन, आगमों का प्रबंधन और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग व प्रकटीकरण शामिल हैं।

बैंक, वार्षिक आधार पर बाह्य एजेंसी के माध्यम से हरित जमा वित्तपोषण के लिए उपयोग की गई आगम और धन के उपयोग से संबंधित स्वतंत्र तृतीय-पक्ष सत्यापन / आश्वासन करेगा। ईएसजी अनुभाग, जोखिम प्रबंधन विभाग इस संबंध में संबंधित संसाधन विभाग, एलसीसी विभाग और अन्य कार्यात्मक विभागों के साथ समन्वय करेगा और तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन की रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएंगे।

उपरोक्त के अलावा, निरीक्षण विभाग (आंतरिक रूप से), तीसरे पक्ष के सत्यापन / आश्वासन से पूर्व, हरित जमा नीति और उधार संबंधी ढ़ांचे के संबंध में आयोजित किए जाने वाले उनके वार्षिक निरीक्षण में नीचे सूचीबद्ध पहलुओं को कवर करेगा।

- आगम का उपयोग उल्लिखित पैरा 21.2 में दर्शाई गई पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के अनुसार होना चाहिए।
- नीतियां व आंतरिक नियंत्रण, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजना मूल्याँकन और चयन, आगम का प्रबंधन और उधारकर्ता द्वारा बैंक को प्रदान की गई स्थिरता जानकारी का सत्यापन और रिपोर्टिंग व प्रकटीकरण शामिल हैं।
- सिस्टम के माध्यम से स्रोतों और उपयोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली एमआईएस रिपोर्ट का सृजन ।
- लक्ष्यों, यदि कोई हो, के एवज में संचयी बकाया।

25. प्रभाव मूल्याँकन

बैंक वार्षिक रूप से एक प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट के माध्यम से हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए उधार दी गई या निवेश की गई धनराशि से जुड़े प्रभाव का आकलन करेगा, जो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और वित्त वर्ष 2025-26 से अनिवार्य हो जाएगा। बैंक प्रभाव मूल्याँकन रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा।

इस नीति के अनुलग्नक-1 में प्रभाव संकेतकों की एक संकेतात्मक सूची प्रदान की गई है।

****

अनुलग्नक-1

पात्र परियोजना श्रेणी	संकेतात्मक प्रभाव संकेतक
नवीकरणीय ऊर्जा	• कुल नवीकरणीय क्षमता (एमडब्ल्यूएच में) • प्रति वर्ष उत्पन्न ऊर्जा (एमडब्ल्यूएच) • प्रति वर्ष बचाया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (टन सीओ2समकक्ष, टीसीओ2ई में मापा जाता है)
अपशिष्ट प्रबंधन	• प्रति वर्ष लैंडफिल से डायवर्ट किया गया अपशिष्ट (टन)
स्वच्छ परिवहन	• प्रति वर्ष बचाया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (टीसीओ2ई) • नवनिर्मित स्वच्छ परिवहन अवसंरचना (किमी) • इलेक्ट्रिक या कम उत्सर्जन वाले वाहनों की संख्या
ऊर्जा दक्षता	• प्रति वर्ष ऊर्जा बचत (एमडब्ल्यूएच) • प्रति वर्ष बचाया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन (टीसीओ2ई)
वनीकरण / पुनर्वनीकरण	• कम किया गया ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन / प्राप्त किया गया कार्बन नियंत्रण (टीसीओ2ई में मापा गया)

अनुलग्नक-2

हरित जमा से जुटाए गए धन के उपयोग संबंधी संविभाग-स्तरीय जानकारी

(राशि ` करोड़ में)

मद	चालू वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष	संचयी *
जुटाई गई कुल हरित जमा राशि (क)			
हरित जमा निधि का उपयोग **			
(1) नवीकरणीय ऊर्जा			
(2) ऊर्जा दक्षता			
(3) स्वच्छ परिवहन			
(4) जल-वायु परिवर्तन अनुकूलन			
(5) सतत जल और अपशिष्ट प्रबंधन			
(6) प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण			
(7) हरित भवन			
(8) सजीव प्राकृतिक संसाधन और भूमि उपयोग का सतत प्रबंधन			
(9) स्थलीय और जलीय जैव विविधता संरक्षण			
आबंटित कुल हरित जमा निधि (ख= 1 से 9 का योग)			
अनाबंटित हरित जमा निधि की राशि (ग=क-ख)			
हरित जमा आगम की अस्थायी आबंटन का विवरण जिनका आबंटन पात्र हरित गतिविधियों / परियोजनाओं के लिए लंबित है।			

* इसमें जब से आरई ने हरित जमा की पेशकश शुरू की है, तब से संचयी राशि शामिल होगी । उदाहरणार्थ, यदि किसी बैंक ने दिनांक 1 जून, 2023 से हरित जमा राशि जुटाना शुरू कर दिया है, तो दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में दिनांक 1 जून, 2023 से 31 मार्च, 2025 तक जुटाई गई और आवंटित जमा का विवरण शामिल होगा।

** प्रत्येक श्रेणी के तहत, आरई प्रत्येक उप-क्षेत्र को आवंटित धन के आधार पर उप-श्रेणियां दर्शा सकते हैं। उदाहरणार्थ, आरई "नवीकरणीय ऊर्जा" के तहत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि जैसी उप-श्रेणियां दर्शा सकते हैं।